

## खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : शहीपुर कैंला परगना : (दारामगर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 खाता संख्या : 00235	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अदेश	टिप्पणी
<b>श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो</b>				
सत्यपाल सिंह / नेता सिंह / जलालपुर हसना	146	0.3050	1416फ - शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह व अमित कुमार पुत्र शौबीर सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 04.6.09 को पी0 एन0बी0, हल्दौर में बंधक करके 90,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0 दरा0 15.6.09	1426फ0 अनमोल कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह व प्रमोद देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह ने खाता बंधक कर युनियन बैंक आफ इण्डिया राखा हल्दौर से दिनांक 14.01.19 को रु0 70,000/- लोन लिया है।ह0र0का0 18.01.19
मुकेश बाबू / सत्यपाल सिंह / जलालपुर हसना	183	0.0300	1416फ - शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह व अमित कुमार पुत्र शौबीर सिंह ने खाता राजा की अपनीभूमि दिनांक 04.6.09 को पी0 एन0बी0, हल्दौर में बंधक करके 4,00,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0 दरा0 15.6.09	1429फ - राखा प्रबंधक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 हल्दौर के पत्रांक 354/28.6.21 पर तहसीलदार बिजनौर के पुरांकित आदेश दिनांक 30.12.21 के अनुसारन में खतेदार यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 30.8.11 को बंधक करके 3,50,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0 25.1.22
खूब सिंह / सत्यपाल सिंह / जलालपुर हसना	173/549	0.0200	1418फ0-शौबीर ंसिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 24.06.11 को पी0एन0बी0हल्दौर में बंधक करके 2,40,000/-रुण लिया ह0र0का0दा0 25.06.11	1429फ - राखा प्रबंधक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 हल्दौर द्वारा जारी भूमि मुक्ति पत्र 95/23.2.22 के आधार पर यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने दिनांक 30.8.11 को लिया ऋण 3,50,000/- रु0 जमा करने पर भूमि भार मुक्त की जाती है। ह0र0का0 04.3.22
बीनू कुमार नाबा0 15 वर्ष / सत्यपाल सिंहसं0 पिता स्वयं / जलालपुर हसना			1419फ0-शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 19.04.12 को युनियन बैंक आफ इण्डिया हल्दौर में बंधक करके 2,00,000/-रुण लिया ह0र0का0दा009.04.12	1429फ - राखा प्रबंधक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 हल्दौर द्वारा जारी भूमि मुक्ति पत्र 95/23.2.22 के आधार पर यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने दिनांक 30.8.11 को लिया ऋण 3,50,000/- रु0 जमा करने पर भूमि भार मुक्त की जाती है। ह0र0का0 04.3.22
धर्मवीर सिंह / गणेश सिंह / जलालपुर हसना			1420फ0-शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को भारतीय स्टेट बैंक बिजनौर में बंधककरके 4,00,000/- (टुक्कर हेतु) +2,26,000/- (के0सी0सी0) रु0 ऋण लिया। ह0र0का0दा016-01-13	1429फ - राखा प्रबंधक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 हल्दौर द्वारा जारी भूमि मुक्ति पत्र 95/23.2.22 के आधार पर यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने दिनांक 30.8.11 को लिया ऋण 3,50,000/- रु0 जमा करने पर भूमि भार मुक्त की जाती है। ह0र0का0 04.3.22
महेन्द्र सिंह / गणेश सिंह / जलालपुर हसना			1425 फ - श्रीमान उपजिलाधिकारी बिजनौर द्वारा आर0 सी0 प्रपत्र 41 भूमि और अन्य अचल सम्पतियो की कुकी में दिनांक 25.8.17 को आदेश हुआ कि बन्नीदार यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 शहीपुर कलां द्वारा बैंक देय बकाया 638515/- व अन्य देय अदा न करने करने पर मौजा नसीरपुर नैनसिंह स्थित सम्पति खाता सं0 40 गारा सं0 175 मि / 0.167 व 177 / 0.542 व 173 मि / 0.126 मालगुजारी 23.15 के बकदर भाग व खाता सं0 70 गारा सं0 174 /1.274 मालगुजारी 29.60 के बकदर भाग व ग्राम सल्लाहपुर के खाता सं0 90 गारा सं0 3/ 1.780 व 5 /0.412 मालगुजारी 46.75 के बकदर भाग व खाता सं 160 गारा सं0 7/0.326 हे0 मालगुजारी 8.35 के बकदर भाग व ग्राम जलालपुर हसना के खाता सं0 62 खसरा सं0 3 /0.531 हे0 मालगुजारी 10.40 के बकदर भाग व ग्राम शहीपुर कलां के खाता सं0 235 गारा सं0 146 /0.305 व 183 /0.030 व 173 /549 /0.020 मालगुजारी 20.15 के बकदर भाग व खाता सं0 171 गारा सं0 197 / 0.597 लगान 19.90 के बकदर भाग उक्त अशोखित सम्पति जब्त कर ली गयी है और उक्त सम्पति के हस्तांतरण या बिक्री दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन से निशेद्ध और अवरुद्ध किया जाता है और अन्य व्यक्तियों को भी उक्त सम्पति की बिक्री दान या अन्या रूप से प्राप्त करने से निशेद्ध और अवरुद्ध किया जाता है। ह0 र0 का0 दरा0 14.11.17	1429फ - कार्यलय तहसीलदार बिजनौर पत्रांक 1013 /वा0बा0न0 2022 दिनांक 15.3.22 को आदेश हुआ कि बैंक देय के बन्नीदार यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 शहीपुर कलां पर बैंक देय की बकाया अंकन 638515.00 रु0 अदा न करने की ऐज में बन्नीदार की अचल सम्पति कृषि भूमि खाता सं0 44 गारा सं0 175मि0 0.1670, 177/0.5420, 173मि0 /0.1260 मालगुजारी
परशराम / हरि सिंह / नि0 ग्राम				
दल सिंह / हरि सिंह / नि0 ग्राम				
शौबीर सिंह / मुखराम सिंह / बेरेखेडा				
गजेन्द्र सिंह / धर्मवीर सिंह / जलालपुर हसना				
नरेन्द्रपाल सिंह / महाराज सिंह / नि0ग्राम				
महीपाल सिंह / महाराज सिंह / नि0ग्राम				
नौबहार सिंह / महाराज सिंह / नि0ग्राम				
राम सिंह / हरि सिंह / नि. ग्राम				
परशराम / हरि सिंह / नि. ग्राम				
राहुल कुमार / सुरेन्द्र सिंह / नि.ग्राम				
अनमोल कुमार / सुरेन्द्र सिंह / नि.ग्राम				
प्रमोद देवी / सुरेन्द्र सिंह / नि.ग्राम				
कमला देवी / अबर सिंह / नि0 साहनपुर नवादा				

1427फ0- रा0नि0अम्हेडा द्वारा प्रपत्र आर0सी0-9ख वद सं0 2019901316011677/ 6.09.19 पर आदेश हुआ कि खाता सं0 148 व 235 व 237 पर मृतक परसराम पुत्र हरि सिंह के स्थान पर अरविन्द कुमार, चन्द्रशेखर पुत्राण परसराम व कामेन्द्र सिंह, जोगेन्द्र कुमार पुत्राण जयवीर सिंह व रेखा रानी पत्नी जयवीर सिंह नि0ग्राम के नाम बतौर वारिस दर्ज हो । ह0र0का0दा0 18.09.19

1427फ0 आदेश रा0नि0 अम्हेडा द्वारा आर0सी09 ख वद सं0टी2020901316010028/7.01.2020 खाता सं091.93,235व 237 से मृतक धर्मवीर सिंह पुत्र गनेशा के स्थान पर गजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह, राहुल सिंह, अनमोल कुमार पुत्राण सुरेन्द्र सिंह व प्रमोद देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह व सोमवती देवी पत्नी धर्मवीर सिंह नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो।ह0र0का0 21.01.2020

1428फ0-रा0नि0 दारामार द्वारा प्रपत्र आर0 सी0 9 ख पर वद सं0 20201313400713000467/14-8-2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0 91 कुल गाटे 4/0.323 व खाता सं0 152 कुल गाटे 2/0.727 व खाता सं0 235 कुल गाटे 3/0.355 हे0 व खाता सं0 237 कुल गाटे 2/1.146 हे0 से मृतक महेन्द्र सिंह पुत्र गनेशा सिंह के स्थान पर विमला पत्नी महेन्द्र सिंह व मोहन सिंह व शशांत कुमार पुत्राण महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो।ह0र0का0दा0 21-8-2020

1429फ - कार्यलय तहसीलदार बिजनौर पत्रांक 1013 / वा0बा0न0 2022 दिनांक 15.3.22 को आदेश हुआ कि बैंक देय के बाकीदार यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 शादीपुर कलां पर बैंक देय की बकाया अंकन 638515.00 रु0 अदा न करने की ऐज में बाकीदार की अचल सम्पत्ति कृषि भूमि खाता सं0 44 गाटा सं0 175मि0 /0.1670, 177/0.5420, 173मि0 /0.1260 मालगुजारी 23.15 मौजा नसीरपुर नैन सिंह व खाता सं0 185 गाटा सं0 3/1.7800, 5/0.4120 मालगुजारी 46.75 मौजा सल्लाहपुर व खाता सं0 186 गाटा सं0 7 /0.3260 मालगुजारी 9.35 मौजा सल्लाहपुर व खाता सं0 123 गाटा सं0 3/0.5310 मालगुजारी 10.40 मौजा जलालपुर हसना व खाता सं0 235 गाटा सं0 146/0.3050 गाटा सं0 183/0.0300, 173/549/0.0200 मालगुजारी 20.15 मौजा शादीपुर कलां व खाता सं0 174 गाटा सं0 197/0.597 मालगुजारी 17.90 मौजा शादीपुर कलां व खाता सं0 68 गाटा सं0 174/1.2740 मालगुजारी 29.60 मौजा नसीरपुर नैन सिंह को उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 25.8.17 को कुर्क कर लिया गया था। बाकीदार द्वारा बैंक देय की समस्त बकाया अदा कर दी गयी है जिसके उपरान्त उपजिलाधिकारी महोदय ने उक्त कुर्क शुद्धा अराजी कृषि भूमि को दिनांक 15.3.22 को कुर्की से मुक्त कर दिया गया है। ह0र0का0दा0 16.3.22

44 गाटा सं0 175मि0 /0.1670, 177/0.5420, 173मि0 /0.1260 मालगुजारी 23.15 मौजा नसीरपुर नैन सिंह व खाता सं0 185 गाटा सं0 3/1.7800, 5/0.4120 मालगुजारी 46.75 मौजा सल्लाहपुर व खाता सं0 186 गाटा सं0 7 /0.3260 मालगुजारी 9.35 मौजा सल्लाहपुर व खाता सं0 123 गाटा सं0 3/0.5310 मालगुजारी 10.40 मौजा जलालपुर हसना व खाता सं0 235 गाटा सं0 146/0.3050 गाटा सं0 183/0.0300, 173/549 /0.0200 मालगुजारी 20.15 मौजा शादीपुर कलां व खाता सं0 174 गाटा सं0 197/0.597 मालगुजारी 17.90 मौजा शादीपुर कलां व खाता सं0 68 गाटा सं0 174/1.2740 मालगुजारी 29.60 मौजा नसीरपुर नैन सिंह को उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 25.8.17 को कुर्क कर लिया गया था। बाकीदार द्वारा बैंक देय की समस्त बकाया अदा कर दी गयी है जिसके उपरान्त उपजिलाधिकारी महोदय ने उक्त कुर्क शुद्धा अराजी कृषि भूमि को दिनांक 15.3.22 को कुर्की से मुक्त कर दिया गया है। ह0र0का0दा0 16.3.22

योग

3

0.3550